रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 | REGISTERED NO. D. (D)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 1990/ज्येष्ठ 11, 1912
No.294] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 1990/JYAISTHA 11, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1990

का.आ. 436(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 14क में,—

(क) उप नियम (1) के खंड (क) में,—

(i) मद (2) के सामने, "महा निरीक्षक" प्रविष्टि के स्थान पर, "अपर महा निरीक्षक" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) मद (3) के सामने, "अपर महा निरीक्षक" प्रविष्टि के स्थान पर, "महा निरीक्षक" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 15 के उप नियम (2) में खंड (क), (ख) और (ग) में, "और उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर है" शब्दों का जहां जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 20, 21 और 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"20—केन्द्रीय सरकार द्वारा अवचार के कारण आफिसरों की सेवा की समाप्ति,—

(1) जब अवचार के कारण धारा 10 के अधीन किसी आफिसर की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव हो, तो उसे ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, परन्तु यह उप नियम वहां लागू नहीं होगा :—

(क) जहां सेवा ऐसे अवचार के कारण समाप्त की गई है जिससे किसी दाण्डिक न्यायालय या सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि हुई है ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, आफ़िसर को हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान करना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब किसी आफ़िसर के अवचार पर रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या महा निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा आफ़िसर का विचारण असमीचीन या असाध्य है किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त अधिकारी का सेवा में और अधिक बने रहना वांछनीय नहीं है तो महानिदेशक अभिकथनों की विशिष्टियों और अन्वेषण की रिपोर्ट (जिसके अंतर्गत साक्षियों के, यदि कोई है, अभिलिखित कथन और दस्तावेजों की, यदि कोई है, प्रतियां भी है जो उसके विरुद्ध उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं) उन मामलों में जहां अभिकथनों का अन्वेषण किया गया है, सहित आफ़िसर को सूचित करेगा और उससे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु महा निदेशक ऐसी रिपोर्ट या उसके किसी भाग के प्रकटन को रोक सकेगा, यदि उसकी राय में उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(3) यदि आफ़िसर का स्पष्टीकरण महा निदेशक द्वारा असमाधानप्रद पाया जाता है या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है तो मामला उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति में आफ़िसर की सेवा की समाप्ति के बारे में आफ़िसर के प्रतिवाद और महा निदेशक की सिफ़ारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उप नियम (2) या उप नियम (3) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को कोई मामला प्रस्तुत करते समय महा निदेशक अपनी यह सिफ़ारिश करेगा कि, क्या आफ़िसर की सेवा समाप्त की जानी चाहिए और यदि ऐसा है तो क्या आफ़िसर को :—

(क) सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए ; या

(ख) सेवा से हटाया जाना चाहिए; या

(ग) सेवा से निवृत्त किया जाना चाहिए; या

(घ) सेवा से उससे त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों और आफ़िसर के प्रतिवाद, यदि कोई है या यथास्थिति, वाण्डिक न्यायालय के निर्णय और महानिदेशक की सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात् आफ़िसर को पेंशन सहित या उसके बिना हटा सकेगी या पदच्युत कर सकेगी या उसे सेवा से निवृत्त कर सकेगी या उससे उसका त्याग पत्र ले सकेगी और ऐसा करने में उसके इंकार किए जाने पर आफ़िसर की अनुज्ञेय पेंशन या उपदान, यदि कोई हो, सहित उसे सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा सकेगा या हटाया जा सकेगा।

21. अवचार से भिन्न आधारों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आफ़िसरों की सेवा की समाप्ति—

(1) जब महा निदेशक का यह समाधान हो जाता है कि कोई आफ़िसर सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है तो उस आफ़िसर को

(क) इस प्रकार सूचित किया जाएगा ;

(ख) उसके प्रतिकूल सभी मामलों की विशिष्टियां उसे दी जाएंगी और

(ग) उससे ऐसे कोई कारण जो वह सेवा में अपने बने रहने के पक्ष में देना चाहता है, देने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु खंड (क), (ख) और (ग) तब लागू नहीं होंगे जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, उसके उपबंधों का अनुपालन करना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

परन्तु यह और कि महा निदेशक उसके प्रतिकूल किसी मामले के बारे में आफ़िसर को सूचित नहीं करेगा जब उसकी राय में ऐसा करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) यदि महानिदेशक द्वारा स्पष्टीकरण असमाधानप्रद पाया जाता है तो मामला आफ़िसर के स्पष्टीकरण और महा निदेशक की सिफ़ारिशों के साथ आदेशों के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों आफ़िसर के स्पष्टीकरण, यदि कोई है, और महा निदेशक की सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात् आफ़िसर से सेवा निवृत्त होने या पदत्याग करने की अपेक्षा कर सकेगी और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर आफ़िसर को अनुज्ञेय पेंशन या उपदान यदि कोई है, सहित उसे सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किया जा सकेगा।

22. अवचार के कारण आफ़िसरों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की पदच्युति या हटाया जाना—

(1) जब किसी आफ़िसर से भिन्न इस अधिनियम के अध्यधीन किसी व्यक्ति की सेवा को समाप्त करने का प्रस्ताव हो, तो उसे पदच्युत या हटाए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध जो नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यह उप नियम वहां लागू नहीं होगा —

(क) जहां सेवा ऐसे अवचार के कारण समाप्त की जाती है जिसमें उसे किसी दाण्डिक न्यायालय या सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, सम्बद्ध व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान करना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है।

(2) जब सम्बद्ध व्यक्ति के अवचार पर रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति का विचारण असमीचीन या असाध्य है किन्तु उसकी यह राय है कि उसका सेवा में और बने रहना अवांछनीय है तो वह उसे उसके प्रतिकूल सभी रिपोर्टों सहित इस प्रकार सूचित करेगा और उससे अपना स्पष्टीकरण और प्रतिवाद लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके किसी भाग को प्रकट करने से रोक सकेगा यदि उसकी राय में उसका प्रकट किया जाना लोकहित में नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी उसके स्पष्टीकरण और प्रतिवाद, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात् पेंशन सहित या उसके बिना उसे पदच्युति कर सकेगा या सेवा से हटा सकेगा :

परन्तु कोई उप महा निरीक्षक किसी सूबेदार की पंक्ति के या उससे ऊपर के किसी अधीनस्थ आफ़िसर को पदच्युत नहीं करेगा या सेवा से नहीं हटाएगा।

(4) इस नियम के अधीन पदच्युत या हटाए जाने के सभी मामलों की रिपोर्ट महा निदेशक को दी जाएगी।"

5. उक्त नियमों के नियम 26 और 27 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"26. जहां कमांडेंट का यह समाधान हो जाता है कि कोई अध्यावेशित व्यक्ति बल में आगे रखने के लिए अनुपयुक्त है, वहां कमाण्डेंट अध्यावेशित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का अवसर उस दशा के सिवाय जिसमें वह ऐसे अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में असाध्य या असमीचीन समझता है) देने के पश्चात् उक्त अध्यावेशित व्यक्ति को बल से सेवा निवृत्त कर सकेगा।

27. (1) जहां उप महा निरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि कोई उप निरीक्षक बल में रखे रहने के लिए अनुपयुक्त है, वहां वह ऐसे उप निरीक्षक को (उस दशा में सिवाय जिसमें वह ऐसा अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में अवाध्य या असमीचीन समझता है) उक्त निरीक्षक को सेवा निवृत्त कर सकेगा।

(2) जहां महा निरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि कोई सूबेदार या सूबेदार मेजर बल में रखे जाने के लिए अनुपयुक्त है, वहां वह, ऐसे सूबेदार या सूबेदार मेजर को (उस दशा के सिवाय जिसमें वह ऐसा अवसर देना राज्य की सुरक्षा के हित में अवाध्य या असमीचीन समझता है) देने के पश्चात् ऐसे सूबेदार या सूबेदार मेजर को बल से सेवा निवृत्त कर सकेगा।"।

6. उक्त नियमों के नियम 28 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"28-क—अर्जी—अधिनियम के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन पारित उसकी सेवा की समाप्ति के आदेश से स्वयं को व्यथित समझता है, किसी आफिसर की दशा में, केन्द्रीय सरकार को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा, और किसी अन्य दशा में, उस आफिसर से जिसने आदेश पारित किया था, वरिष्ठ आफिसर को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा जो अर्जी पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

7. उक्त नियमों के नियम 43 में, "अधिनियम के अध्यधीन किसी व्यक्ति ने" शब्दों के स्थान पर, "किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"44—आरोप-पत्र—जहां यह अभिकथित है कि किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर ने अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वहां अभिकथन परिशिष्ट 6 में उपवर्णित प्रारूप में अभिलिखित किया जाएगा।";

9. उक्त नियमों के नियम 45 में, "कमाण्डेंट द्वारा सुनवाई—कमाण्डेंट नियम 44 के उप नियम (1) के अधीन सभी रैंकों के विरुद्ध आरोप की सुनवाई करेगा और—" शीर्ष और प्रारंभिक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अभ्यावेदित व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की सुनवाई :—

(1) आरोप की सुनवाई अभियुक्त के कमाण्डेंट द्वारा की जाएगी:—

(क) आरोप और साक्षियों के कथन, यदि अभिलिखित है तो वे अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे। यदि साक्षियों के लिखित कथन उपलब्ध नहीं हैं तो वह उतने साक्षियों की सुनवाई करेगा जितने वह विवाद्यक का अवधारण करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे;

(ख) अभियुक्त को साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन आरोप की सुनवाई के पश्चात् कमाण्डेंट —"।

10. उक्त नियमों के नियम 45 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"45-क—अधिनियम की धारा 53 के अधीन विनिर्दिष्ट आफिसर द्वारा आरोप की सुनवाई.—(1) कोई विनिर्दिष्ट आफिसर अभ्यावेदित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा यदि—

(क) आरोप का संक्षिप्ततः निपटारा किया जा सकता है; या

(ख) मामला कमाण्डेंट द्वारा स्वयं के द्वारा निपटाए जाने के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, या

(ग) अभियुक्त गिरफ्तारी के अधीन नहीं है।

(2) नियम 45 के उप नियम (1) के अधीन आरोप की सुनवाई के पश्चात् विनिर्दिष्ट अधिकारी :—

(i) ऐसा कोई दण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा जैसा अधिनिर्णीत करने के लिए वह सक्षम है, या

(ii) आरोप को खारिज कर सकेगा, या

(iii) मामला कमाण्डेंट को निर्देशित कर सकेगा।

45ख—आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध आरोप की सुनवाई :—

(1) (क) किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध आरोप की सुनवाई उसके कमाण्डेंट द्वारा की जाएगी;

परन्तु किसी कमाण्डेंट, उप महानिरीक्षक या महा निरीक्षक के विरुद्ध आरोप की सुनवाई किसी यूनिट या मुख्यालय का जिसमें अभियुक्त पदस्थ किया गया है या सम्बद्ध है, समादेशन करने वाले आफिसर द्वारा या यथास्थिति, उसके उप महानिरीक्षक या महा निदेशक द्वारा की जाएगी।

(ख) साक्षियों के आरोप-पत्र और कथन यदि अभिलिखित हैं और सुसंगत दस्तावेज, यदि कोई हैं, अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जायेंगे :

परन्तु जहां साक्षियों के लिखित कथन उपलब्ध नहीं है वहां आरोप की सुनवाई करने वाला आफिसर उतने साक्षियों की सुनवाई करेगा जितने वह मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(ग) अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में कथन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आरोप की सुनवाई के पश्चात् आफिसर जिसने आरोप की सुनवाई की थी,—

(1) आरोप को खारिज कर सकेगा, या

(2) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने के लिए या साक्ष्य का सार तैयार करने के लिए अभियुक्त का प्रतिप्रेषण कर सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि उसकी राय में आरोप साबित नहीं हुआ है तो वह आरोप को खारिज कर सकेगा या यदि वह यह समझता है कि अभियुक्त के पिछले चरित्र और उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति के कारण उसके संबंध में आगे कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं है तो वह आरोप को खारिज कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि मृत्यु से दण्डनीय सभी अपराधों की दशा में साक्ष्य का अभिलेख तैयार किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 48 में—

(क) उप नियम (1) में "कमाण्डेंट" प्रारंभिक शब्दों के स्थान पर, "साक्ष्य अभिलिखित करने का आदेश देने वाला आफिसर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां किसी जांच न्यायालय में किसी साक्षी का कथन उपलब्ध है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा की अभियुक्त प्रदान की जा सकेगी और उक्त कथन की मूल प्रति अभिलेख में रखी जा सकेगी। उसकी एक प्रति अभियुक्त को दी जाएगी और

यदि उसे जांच न्यायालय में साक्षी की प्रति-परीक्षा करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था तो उसे उसकी प्रति-परीक्षा करने का अधिकार होगा।

12. उक्त नियमों के नियम 49 के उपनियम (1) में "कमाण्टेंट" शब्द के स्थान पर, "उसका आदेश करने वाले आफिसर" शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियमों के नियम 51 के शीर्षक में, "मामले का निपटारा" शब्दों के स्थान पर "अभ्यावेदित व्यक्ति के विरुद्ध मामले का निपटारा" शब्द रखे जाएंगे।

14. उक्त नियमों के नियम 51 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"51क: साक्ष्य का अभिलेख या साक्ष्य का सार तैयार करने के पश्चात् किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध मामले का निपटारा :

(1) जहां किसी आफिसर को साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने या उसका सार बनाने के लिए तैनात किया गया है, वहां वह उसे उस आफिसर को भेजेगा जिसने उसके तैयार किए जाने का आदेश दिया था।

(2) आफिसर जिसने साक्ष्य के अभिलेख या साक्ष्य का सार तैयार करने का आदेश दिया था, साक्ष्य, के अभिलेख या सार का अवलोकन करने के पश्चात् :—

(1) आरोप को खारिज कर सकेगा, या

(2) जहां वह ऐसा करने के लिए सशक्त है, वहां मामले का संक्षिप्ततः निपटारा कर सकेगा, या

(3) मामले को निपटारे के लिए सक्षम वरिष्ठ आफिसर को निर्देशित कर सकेगा, या

(4) अभियुक्त के विचारण के लिए एक साधारण सुरक्षा बल न्यायालय संयोजित करने के लिए सक्षम आफिसर या प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।"

15. उक्त नियमों के नियम 61 के उप नियम (1) में, वह "अरालियनों" शब्द के पश्चात या "यूनिटों" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त नियमों के नियम 81 में,—

(क) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(ख) उप नियम (3) में, "उप नियम (1) और उप नियम (2)" शब्दों, अंकों और कोष्टकों के स्थान पर, "उप नियम (1)" शब्द, अंक और कोष्टक रखे जाएंगे।

17. उक्त नियमों के नियम 161 में,—

(क) उप नियम (1) के खंड (ख) में,—

"धारा 48" में दिए गए दण्ड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 48 में दिए गए दंड के निम्नतर मापमान में लघुकृत कर सकेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस कर देगा" शब्द और अंक रख जाएंगे।

(ख) उप नियम (2) में, "और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस कर देगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ग) उप नियम (3) में, "कार्यवाही प्रख्यापित किए जाने के पश्चात" शब्दों के स्थान पर, कार्यवाही "उप नियम (1) के अधीन प्रख्यापित किए जाने या उप नियम (2) के अधीन प्रति हस्ताक्षर करने के पश्चात" शब्द रखे जाएंगे।

18. उक्त नियमों के परिशिष्ट 1 के भाग 2 में, शर्त 4 में, "प्रथम वर्ष" शब्दों के स्थान पर "प्रथम दो वर्षों" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 1/13/87—सी एल ओ/बी एस एफ]
अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 2336 तारीख 9 जून, 1969 असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) द्वारा पृष्ठ 739-797 पर प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उनका निम्न लिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

(1) अधिसूचना सं. का.आ. 1362 तारीख 7 अप्रैल, 1970

(2) अधिसूचना सं. का.आ. 4034 तारीख 21 अक्तूबर, 1971

(3) अधिसूचना सं. का.आ. 5087 तारीख 6 नवम्बर, 1971

(4) अधिसूचना सं. का.आ. 329(अ) तारीख 29 अप्रैल, 1981

(5) अधिसूचना सं. का.आ. 155 तारीख 1 मार्च, 1983

(6) अधिसूचना सं. का.आ. 187(अ) तारीख 23 मार्च, 1984।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 1990

S.O. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 14A of the Border Security Force Rules, 1969, (hereinafter referred to as the said rules),—

(a) in sub-rule (1), in clause (a),—

(i) against item (2), for the entry "Inspector-General", the entry "Additional Director-General" shall be substituted;

(ii) against item (3), for the entry "Additional Inspector General", the entry "Inspector General' shall be substituted;

(b) the explanation shall be omitted.

3. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (2), in clauses (a), (b) and (c), the words "and within the area assigned to him "wherever they occur, shall be omitted,

4. For rules 20, 21 and 22 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"20. Termination of service of officers by the Central Government on account of misconduct.—

(1) When it is proposed to terminate the service of an officer under section 10 on account of mis-conduct, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply:—

(a) where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or a Security Force Court; or

(b) where the Central Government is satisfied that for reasons, to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give to the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on an Officer's mis-conduct, the Central Government or the Director-General, as the case may be, is satisfied that the trial of the Officer by a Security Force Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that the further retention of the said officer in the service is undesirable, the Director General shall so inform the officer together with particulars of allegation and report of investigation (including the statements of witnesses, if any, recorded and copies of documents if any, intended to be used against him) in cases where allegations have been investigated and he shall be called upon to submit, in writing, his explanation and defence :

Provided that the Director-General may with-hold disclosure of such report or portion thereof if, in his opinion, its disclosure is not in the interest of the Security of the State

(3) In the event of the explanation of the Officer being considered unsatisfactory by the Director-General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Central Government with the Officer's defence and the recommendation of the Director-General as to the termination of the Officer's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) When submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), the Director-General shall make his recommendation whether the Officer's service should be terminated, and if so, whether the officer should be :—

(a) dismissed from the service; or

(b) removed from the service; or

(c) retired from the service; or

(d) called upon to resign.

(5) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgement of the criminal court, as the case may be, and the recommendation of the Director-General, may remove or dismiss the officer with or without pension or retire or get his resignation from service, and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired or removed from the service with pension or gratuity, if any, admissible to him.

21. Termination of service of officers by the Central Government on grounds other than mis-conduct.

(1) When the Director-General is satisfied that an officer is unsuitable to be retained in service, the officer—

(a) shall be so informed;

(b) shall be furnished with particulars of all matters adverse to him; and

(c) shall be called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the Central Government is satisfied that, for reasons, to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof :

Provided further that the Director-General may not furnish to the officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the State to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the Director-General unsatisfactory, the matter shall be submitted to the Central Government for orders, together with the officer's explanatinon and the recommendation of the Director-General.

(3) The Central Government after considering the reports, the explanation, if any, of the officer and the recommendation of the Director-General, may call upon the officer to retire or resign and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired from the service with pension or gratuity, if any, admissible to him.

22. Dismissal or removal of persons other than officers on account of mis-conduct—

(1) When it is proposed to terminate the service of a person subject to the Act other than an officer, he shall be given an opportunity by the authority competent to dismiss or remove him, to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply—

(a) where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or a Security Force Court; or

(b) where the competent authority is satisfied that, for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give the person concerned an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on the mis-conduct of the person concerned, the competent authority is satisfied that the trial of such a person is inexpedient or impracticable, but, is of the opinion that his further retention in the service is undesirable, it shall so inform him together with all reports adverse to him and he shall be called upon to submit, in writing, his explanation and defence :

Provided that the competent authority may with-hold from disclosure any such report or portion thereof, if, in his opinion its disclosure is not in the public interest.

(3) The competent authority after considering his explanation and defence if any may dismiss or remove him from service with or without pension :

Provided that a Deputy Inspector General shall not dismiss or remove from service, a Subordinate Officer of and above the rank of a Subedar.

(4) All cases of dismissal or removal under this rule, shall be reported to the Director-General."

5. For rules 26 and 27 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"26. Where a Commandant is saitsfied that an enrolled person is unsuitable to be retained in the Force, the Commandant may, after giving such enrolled person an opportunity of showing cause (except when he considers it to be impracticable or inexpedient in the interest of security of the State, to give such opportunity), retire such enrolled person from the Force.

27. (1) Where a Deputy Inspector-General is satisfied that a Sub-Inspector is un-suitable to be retained in the Force, he may, after giving such Sub-Inspector an opportunity of showing cause (except when he considers it to be impracticable on inexpedient in the interest of security of State, to give such opportunity), retire the said Sub-Inspector.

(2) Where an Inspector-General is satisfied that a Subedar or Subedar Major is unsuitable to be retained in the Force, he may, after giving such Subedar or Subedar Major an opportunity of showing cause (except when he considers it to be impracticable or inexpedient in the interest of security of State, to give such opportunity), retire such Subedar or Sebedar Major from the Force."

6. After rule 28 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"28A. Petition—Any person, subject to the Act, who considers himself aggrieved by any order of termination of his service passed under this Chapter may, in the case of an officer, present a petition to the Central Government and in any other case, present

a petition to any officer superior to the one who passed the order, who may pass such orders on the petition as deemed fit."

7. In rule 43 of the said rules, after the words "a person subject to the Act", the words "other than an officer or a Subordinate Officer" shall be inserted.

8. For rule 44 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"44. Charge Sheet—Where it is alleged that an officer or a Subordinate Officer has committed an offence punishable under the Act, the allegation shall be reduced to writing in the form set out in Appendix VI."

9. In rule 45 of the said rules, for the heading and opening sentence "Hearing by the Commandant—The Commandant shall hear the charge against all ranks under sub-rule (1) of rule 44 and may :—", the following shall be substituted, namely:—

"Hearing of the Charge against an enrolled person :—

(1) The charge shall be heard by the Commandant of the accused—

(a) the charge and statements of witnesses if recorded shall be read over to the accused. If written statements of witnesses are not available, he shall hear as many witnesses as he may consider essential to enable him to determine the issue ;

(b) the accused shall be given an opportunity to cross-examine the witnesses and make a statement in his defence.

(2) After hearing the charge under sub-rule (1), the Commandant may :—."

10. After rule 45 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"45A. Hearing of Charge by an Officer specified under section 53 of the Act :—(1) A specified officer may proceed against an enrolled person if,—

(a) the charge can be summarily dealt with ; or

(b) the case has not been reserved by the Commandant for disposal by himself ; or

(c) the accused is not under arrest.

(2) After hearing the charge under sub-rule (1) of rule 45 the specified officer may:—

(i) award any of the punishment which he is empowered to award, or

(ii) dismiss the charge, or

(iii) refer the case to Commandant.

45B. Hearing of charge against an Officer and a Subordinate Officer—(1) (a) The charge against an officer or a subordinte officer shall be heard by his Commandant :

Provided that charge against a Commandant, a Deputy Inspector-General or an Inspector-General may be heard either by an officer commanding a Unit or Headquarters to which the accused may be posted or attached or by his Deputy Inspector-General, or his Inspector-General or, as the case may be, the Director-General.

(2) The charge sheet and statements of witnesses if recorded and relevant documents, if any, shall be read over to the accused :

Provided that where written statements of witnesses are not available, the officer hearing the charge shall hear as many witnesses as he may consider essential to enable him to know about the case.

(c) The accused shall be given an opportunity to make a statement in his defence.

(2) After hearing the charge under sub-rule (1), the officer who heard the charge may :—

(i) dismiss the charge; of

(ii) remand the accused, for preparation of a record of evidence or preparation of abstract of evidence against the accused :

Provided that he shall dismiss the charge if in his opinion the charge is not proved or may dismiss it if he considers that because of the previous character of the accused and the nature of the charge against him, it is not advisable to proceed further with it :

Provided further that in case of all offences punishable with death, a record of evidence shall be prepared."

11. In rule 48 of the said rules—

(a) in sub-rule (1) for the opening words "The Commandant" the words "The officer ordering the record of evidence" shall be substituted.

(b) to sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where statement of any witness at a court of inquiry is available, examination of such a witness may be dispensed with and the original copy of the said statement may be taken on record. A copy thereof shall be given to the accused and he shall have the right to cross examine if he was not afforded an opportunity to cross examine the witness at the Court of Inquiry."

12. In sub-rule (1) of rule 49 of the said rules, for the words "the Commandant", the words "the ordering it" shall be substituted.

13. In the heading to rule 51 of the said rules, after the words "disposal of case", the words "against an enrolled person" shall be inserted.

14. After rule 51 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"51A. Disposal of case against an officer or a subordinate officer after preparation of record of evidence or abstract of evidence—

(1) Where an officer has been detailed to prepare the record of evidence or to make an abstract there of, he shall forward the same to the officer who ordered for its preparation.

(2) The officer who ordered for the preparation of record of evidence or abstract of evidence may, after going through the record or abstract of evidence,—

(i) dismiss the charge, or

(ii) dispose off the case summarily if he is so empowered, or

(iii) refer the case to competent superior officer for disposal, or

(iv) apply to a competent officer or authority to convene a General Security Force Court for the trial of the accused."

15. In sub-rule (1) of rule 61 of the rules, after the words "battalions", the words "or Units", shall be inserted.

16. In rule 81 of the said rules,—

(a) sub-rule (2) shall be omitted ;

(b) in sub-rule (3), for the words, figures and brackets "sub-rules (1) and (2) have", the words, figure and brackets "sub-rule (1) has" shall be substituted.

17. In rule 161 of the said rules,—

(a) in clause (b) of sub-rule (1), for the word and figures "Section 48", the words and figures "Sectoin 48 and return it to the unit of the accused for promulgation" shall be substituted ;

(b) in sub-rule (2), the words "and return it to the unit of the accused for promulgation" shall be omitted ;

(c) in sub-rule (3), after the words "its promulgation", the words "under sub-rule (1) or countersignature under sub-rule (2)" shall be inserted.

18. In Appendix I of the said rules, in Part II, in Condition 4 for the words "first year", the words "first two years shall be substituted.

[No. 1/13/87-CLO/BSF]
ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note —Principle rules published vide Notification Number S.O. 2336 dated 9 June 1969 (Extraordinary) Part II Section—3, Sub-section (ii) page 739—797, subsequently amended by :—

(i) Notification No. S.O. 1362 dated 7 April, '70

(ii) Notification No. S.O. 4034 dated 21 Oct '71.

(iii) Notification No. S.O. 5087 dated 6 Nov '71.

(iii) Notification No. S.O. 5087 dated 6 Nov' 71.

(iv) Notification No. S.O. 329(E) dated 29 Apr '81.

(v) Notification No. S.O. 155 dated 1st Mar '83.

(vi) Notification No. S.O. 187(E) dated 23 Mar '84.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990